केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9450567450
9336715406

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :45 अंक 334 शुक्रवार 28 जून 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

किसानों को कराना होगा फार्मर रजिस्ट्री

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जायेगा। उक्त जानकारी देते हुए मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह ने बताया कि अभिलेखों के डायनेमिक लिंकिंग के साथ किसानों का डेटाबेस (फार्मर रजिस्ट्री) में 12 बिन्दुओं यथा किसान का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नम्बर, आधार संख्या का अतिम 04 डिजिट, सहमति का विवरण, राजस्व ग्राम का नाम, तहसील, जनपद, खसरा एवं गाटा संख्या क्षेत्रफल, अंश निर्धारण एवं पी.एम. किसान स्टेटस आदि सूचना संकलित की जायेगी।

उन्होने बताया कि लेखपाल एवं कृषि तकनीकी सहायक, ए.टी.एम., बी.टी.एम. एवं अन्य विभागों के कार्मिक के 02 सदस्यों की संयुक्त टीम द्वारा राजस्व ग्रामवार कैंप मोड में 01 जुलाई से 31 जुलाई तक फार्म रजिस्ट्री तैयार किया जायेगा, जिसमें आधार ई–के वाई.सी. एवं मोबाइल संख्या का ओ.टी.पी. बेस्ड सत्यापन कर सहमति प्राप्त की जायेगी। लेखपाल द्वारा वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किसान के भू–लेख विवरण (खसरा एवं गाटा सख्या, क्षेत्रफल, अश निर्धारण) का सत्यापन किया जायेगा। स्वीकृति के उपरान्त फार्मर रजिस्ट्री अपडेट हो जायेगी एवं कृषक को मोबाइल संदेश द्वारा फार्मर आई. डी. नम्बर के साथ सूचित किया जायेगा।

चाकू से गला रेतने वाला गिरफ्तार

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। कोतवाली थानाक्षेत्र में चाट का ठेला लगाने वाले सन्नी के हमलावर को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त के कब्जे से हमले में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। घायल सन्नी का लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हालत अभी गंभीर बताई जा रही है।

गत सोमवार की देर रात पानी पूरी का पैसा मांगने पर बेलवाडाड़ी मोहल्ले में मनबढ़ युवक ने ठेले पर रखे चाकू से चाट की ठेला लगाने वाले सन्नी का गला रेत दिया था। घाव गहरा हो जाने से दुकानदार बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक देख चिकित्सक ने मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर कर दिया गया। आरोपी मोनू उर्फ रविंद्र निवासी गांधीनगर पर पुलिस ने जानलेवा हमले का केस दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। शहर कोतवाल विजय दुबे ने बताया कि आरोपी को मोनू को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से हमले में प्रयुक्त चाकू बरामद कर उसे जेल रवाना कर दिया गया। बताया कि शिशुनपुरवा मोहल्ला निवासी सन्नी (24) बेलवाडाड़ी मोहल्ले में चाट और गोलगप्पे का ठेला लगाता है। सोमवार की रात विशुनपुरवा निवासी मोनू देर रात सन्नी के ठेले पर पहुंचा, उसने बिना पानी के गोलगप्पे खिलाने को कहा। आरोप है कि एक प्लेट गोलगप्पे खाने के बाद मोनू जाने लगा, सन्नी ने पैसे मांगे तो मोनू मारपीट करने लगा। मोनू ने पहले ईंट से मारा और उसके बाद ठेले से प्याज काटने वाला चाकू उठाकर सन्नी की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर मौके से भाग गया। मौके से फोरेंसिक टीम ने खून के सैंपल व मिट्टी का नमूना लेकर साक्ष्य संकलन कर फील्ड यूनिट के लैब में भेज दिया गया है।

बुजुर्ग ने लगाई फांसी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। वाल्टरगंज थानाक्षेत्र के पुर्सिया गांव में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग का शव घर के प्रथम तल पर खिड़की से धोती के सहारे लटकता पाया गया। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष दिनेशचंद्र, फोरेंसिक टीम मय फोर्स ने मौके पर पहुंच कर घटना के संबंध में जानकारी हासिल की।

थानाक्षेत्र के पुर्सिया गाँव के रामबख्स सिंह का शव घर के प्रथम तल पर लगे खिड़की में खुद के धोती के सहारे फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया। घटना की जानकारी परिजनों को तब हुई, जब मृतक की बड़ी बहू नीलम सिंह गौरा चौराहे पर दवा लेकर घर पहुंची। घर पहुँचकर बुलाने लगी तो कोई जवाब नहीं मिलने पर वह छत के प्रथम तल पर पहुंची, तो कमरे में में रामबख्स सिंह खिड़की में धोती के सहारे फंदे पर लटक रहे थे।

आपातकाल के जिक्र से स्पीकर पर भड़की कांग्रेस, राष्ट्रपति से भी खफा

नई दिल्ली (आभा)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में इमरजेंसी का जिक्र करना और उसे काला दिन बताना कांग्रेस को रास नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किए गए इमरजेंसी के संदर्भ पर औपचारिक आपत्ति दर्ज कराई है और इसे संसदीय परंपराओं का मजाक बताया है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। मगर अपने संबोधन में उन्होंने इमरजेंसी को भारत के इतिहास में काला दिन भी कहा। लोकसभा में इसके लिए दो मिनट का मौन भी रखा गया।

गुरुवार को, बिरला द्वारा राहुल गांधी को औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद, गांधी और विपक्षी नेताओं के एक समूह ने बिरला से मुलाकात की और बातचीत के दौरान उन्हें बताया गया कि इसे (इमरजेंसी) चर्चा करने से बचा जा सकता था। इस बारे में बोलते हुए कांग्रेस महासचिव और लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, ष्हमने संसद के बारे में कई मुद्दों पर चर्चा की। विपक्ष के नेता राहुल जी ने उन्हें (बिरला को) सूचित किया कि यह एक राजनीतिक संदर्भ था और इससे बचा जा सकता था।'

कांग्रेस राष्ट्रपति के अभिभाषण से भी खफा नजर आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर कहा कि कोई भी सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसे राजनीतिक मामलों को नहीं डाल सकती है। खरगे ने एक्स पर लिखा, 'मोदी सरकार द्वारा लिखित राष्ट्रपति के अभिभाषण को ऐसा लगा जैसे मोदी जी जनादेश को नकारने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं।'

समस्याओं के निराकरण के लिये तय हो अधिकारियों की जबाबदेही

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । स्वास्थ्य से जुड़ी 42 योजनाओं में धन प्राप्त हो गया है। सभी सीएमओ योजनानुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें। उक्त निर्देश मण्डलायुक्त अखिलेश सिंह ने दिया है। उन्होने सभागार में मण्डल स्तरीय मासिक समीक्षा बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, आयुष्मान भारत, क्षय रोग नियंत्रण, संचारी रोग एंव दस्तक अभियान सहित डाटा अपडेटेशन के कार्य में तेजी लायें। उन्होने कहा कि मण्डल में टीवी रोगियों के चिन्हिकरण में की जा रही लापरवाही ठीक नही है। लक्ष्य के अनुरूप चिन्हिकरण एवं उपलब्ध चिकित्सीय सेवाओं से रोगियों को संतृप्त करें।

उन्होने सभी सीएमओ को निर्देश दिया कि मण्डलीय बैठक के पूर्व फील्ड में विजिट करे व समीक्षा कर वास्तविक समस्याओं के निराकरण हेतु अधिकारियों की जवाब देही तय करें। बैठक का संचालन करते हुए मण्डलीय प्रबंधक अरविन्द पाण्डेय ने बताया कि 1 से 31 जुलाई तक संचारी रोग नियंत्रण एवं 11 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जायेंगा। संबंधित एमओआईसी, आशा व आगनबाड़ी कार्यकत्री के माध्यम से भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करायी जायेंगी, जिसमें अद्यतन वास्तविक आकड़ों की फीडिंग भी करायी जायेंगी। बैठक में अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. विनीता राय, तीनों जनपद के सीएमओ, एसीएमओ, डीएमओ, डीटीओ तथा चिकित्सा सेवा से जुड़े अधिकारी व चिकित्सक गण उपस्थित रहें।

स्काउट गाइड के बेहतरी के लिए करेंगे हर संभव सहयोग –जिलाधिकारी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। स्काउट गाइड की बेहतरी के लिए जिला प्रशासन की तरफ से हर संभव सहयोग मिलेगा, स्काउट गाइड एक अनुशासित समाजहित में कार्य करने वाली वर्दीधारी संस्था है। यह विचार नवागत जिलाधिकारी एवं पदेन अध्यक्ष भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश जिला संस्था बस्ती रवीश गुप्ता ने जिलाधिकारी कार्यालय में मिलने गए स्काउट गाइड के व अन्य लोगों से मुलाकात के दौरान व्यक्त किया।

भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश जिला संस्था बस्ती के जिला सचिव कुलदीप सिंह, जिला संगठन आयुक्त स्काउट प्रताप शंकर पांडेय, अध्यक्ष स्काउट गाइड यूथ कमेटी आदर्श मिश्रा आदि ने नवागत जिलाधिकारी को स्कार्फ भेंट कर स्वागत किया और जनपद बस्ती में स्काउटिंग गाइडिंग की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

जिला सचिव भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश जिला संस्था बस्ती कुलदीप सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के साथ जल्द ही स्काउट गाइड पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक जिला संस्था स्काउट भवन सभागार में होनी है जिसमें स्काउटिंग से जुड़े कई जरूरी मुद्दों पर अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी का मार्गदर्शन लिया जाना है।

संचारी रोग नियंत्रण के लिये 1 जुलाई से चलेगा विशेष अभियान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बहादुरपुर, (बस्ती)। विकास क्षेत्र बहादुरपुर के ब्लाक सभागार में गुरूवार एडीओ पंचायत जयप्रकाश राय की मौजूदगी में संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर ग्राम प्रधान सचिन व पंचायत सहायकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग से आये बीसीपीएम शिवभूषण श्रीवास्तव नें संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर मौजूद लोगों को जानकारी देते हुए आवश्यक निर्देश दिया।

इस दौरान बीसीपीएम शिवभूषण श्रीवास्तव नें बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 से 31 जुलाई तक चलेगा। कहा कि वेक्टर जनित बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, कालाजार आदि की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान संचालित किया जाएगा। कहा कि घर–घर दस्तक अभियान के तहत लोगों के घरों तक पहुंच कर उन्हें संचारी रोगों के प्रति जागरूक करने के साथ ही बचाव के तरीकों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अभियान की तैयारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग समेत सभी सहयोगी विभागों से विस्तृत जानकारी ली जा रही है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान में आप सभी बढ़ चढ़कर सहयोग करें। क्षेत्र में कहीं भी जल भराव, नाली जाम आदि की स्थिति पैदा न होने पाए इस पर विषय ध्यान दें।

एडीओ पंचायत जय प्रकाश राय ने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान में सभी ग्राम प्रधानों, सचिव, व पंचायत सहायकों को निर्देशित किया कि इस अभियान में सहयोग करें।

बैठक में मुख्यरूप से ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष अरविंद सिंह, प्रधान अखिलेश सिंह, रिजवान खान, राजदेव, करुणेश मिश्र, विजय यादव, राघवेंद्र प्रताप सिंह, शीतला प्रसाद यादव, फिरोज खान, राजीव श्रीवास्तव, वीरेंद्र कुमार, ज्ञानेंद्रधर द्विवेदी, दीपक कुमार, सर्वेश यादव, राजन चौधरी, कौशल सोनकर के साथ ही बड़ी संख्या के पंचायत सहायक उपस्थित रहे।

बहादुरपुर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर वृहस्पतिवार को ब्लाक सभागार में सचिव, पंचायत सहायक व ग्राम प्रधानों के साथ बैठक का आयोजन होना था किंतु ब्लाक स्तर से ग्राम प्रधानों को इस बैठक की सूचना ही नहीं दी गई। जिससे ब्लाक के ग्राम प्रधानों में नाराजगी देखने को मिली। ग्राम प्रधानों का कहना है कि ब्लाक स्तर पर ग्राम प्रधानों की उपेक्षा की जा रही है। बैठक में ब्लाक के सभी प्रधानों को उपस्थित होना था किंतु जिम्मेदारों द्वारा प्रधानों को सूचना ही नहीं दी गई।

यूपी 112 काफिले में अब 6278 वाहन

लखनऊ (आभा)। यूपी 112 के काफिले में अब 6278 वाहन हो गए हैं। गुरूवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1778 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इससे यूपी 112 का रिस्पांस टाइम कम होगा और जरूरतमंदों तक तेजी से मदद भेजी जा सकेगी। योगी ने कहा कि हमने

यूपी–112 के रिस्पांस टाइम को कम करने और पीआरवी–112 की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया है। चौपहिया के साथ दोपहिया वाहनों को भी 112 के बेड़े में शामिल किया है, ताकि गली–मोहल्लों तक आमजन की मदद की जा सके। कोरोना काल में लॉकडाउन के समय यूपी 112 सुर्खियों में बना रहा। लोगों ने पुलिस बल के सेवाभाव को देखा था।

शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें अधिकारी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । नवागत जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागवार समीक्षा बैठक किया। उन्होने बारी बारी से सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा विभागवार संचालित विभिन्न योजनाओं से पात्र लाभार्थियों को शतप्रतिशत लाभ पहुँचाया जाय। उन्होने सोलर पम्प, मुख्यमंत्री आवास, मनरेगा, निर्माण कार्य, दिव्यांगजन, जलजीवन मिशन, गोवंश, दशमोत्तर छात्रवृत्ति, कन्या सुमंगला, राष्ट्रीय पारिवारिक, अमृत सरोवर, टीवीमुक्त भारत, बीसी सखी, एंबुलेन्स की स्थिति, आईजीआरएस आदि योजनाओं की गहन समीक्षा किया। इस संबंध में उन्होने निर्देश दिया कि योजना से संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत प्रगति हासिल करना सुनिश्चित करें।

उन्होने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि गौशालाओं में गोवंश रजिस्टर मेनटेन किया जाय तथा गौशालाओं में संरक्षित गोवंश का अंकन किया जाय। बैठक में उन्होने पाया कि जनपद में पौधरोपण का लक्ष्य 3758420 है। उन्होने समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागवार आवंटन के सापेक्ष पौधरोपण कराना सुनिश्चित करें।

बैठक में सीडीओ जयदेव सीएस, एडीएम कमलेश चन्द्र, सीटीओ अशोक कुमार प्रजापति, पीडी राजेश झा, डीडीओ अजय सिंह, डीपीआरओ रतन कुमार, उप निदेशक कृषि अशोक कुमार गौतम, डीसी मनरेगा संजय शर्मा, सीबीओ राजेश कुमार त्रिपाठी, एआरटीओ पंकज कुमार, जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक जगदीश शुक्ला, डीएसटीओ ईशा शर्मा, सेवायोजन अधिकारी अवधेन्द्र प्रताप, अधिशासी अधिकारी पीडब्ल्यूडी केशवलाल, अवधेश कुमार तथा विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहें।

एसडीएम के आश्वासन पर माने किसानः 8 सूत्रीय मांगों को लेकर भाकियू ने लगायी किसान पंचायत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । गुरूवार को भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष गौरीशंकर चौधरी के नेतृत्व में 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बस्ती सदर तहसील परिसर में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। उप जिलाधिकारी सदर ने किसान पंचायत में आश्वासन दिया कि वाल्टरगंज चीनी मिल पर गन्ना किसानों और श्रमिकों का भुगतान जुलाई माह के में करा दिया जायेगा। पूर्व में लगभग 30 करोड का भुगतान कराया जा चुका है। उप जिलाधिकारी की पहल पर किसान पंचायत को स्थगित कर दिया गया।

किसान पंचायत गन्ना मूल्य का बकाया भुगतान कराने, धान की रोपाई करने हेतु नहरों में पानी छोड़े जाने, जंगली और आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा, फसल बीमा में निजी कम्पनियों को हटाकर सरकार द्वारा प्रीमियम जमा कराये जाने, सरकारी नलकूपों को ठीक कराने, कृषि कार्य हेतु किसानों को निःशुल्क कनेक्शन दिलाये जाने, सहारा के निवेशकों का भुगतान कराये जाने, वरासत या वसीयत के नाम पर धन उगाही पर रोक लगाने, यूरिया, डीएपी पर किसी प्रकार का टैग न लगाने, कुदरहा विकास खण्ड क्षेत्र के लालगंज स्थित कुंआनों पुल पर जाली लगवाये जाने आदि पर विस्तार से चर्चा की गई।

किसान पंचायत को सम्बोधित करते हुये भाकियू के पूर्वान्चल अध्यक्ष अनूप चौधरी, जिलाध्यक्ष गौरीशंकर चौधरी, मण्डल अध्यक्ष महेन्द्र कुमार चौधरी, बस्ती सदर तहसील अध्यक्ष रामफेर, डा. आर. पी. चौधरी, शोभाराम ठाकुर, जयराम चौधरी, रामचन्दर सिंह आदि ने कहा कि केन्द्र और उत्तर प्रदेश की सरकार किसान हितों के प्रति गंभीर नहीं है। जब तक आवश्यक मांगे नहीं मानी जाती चरणबद्ध ढंग से किसान पंचायतें जारी रहेगी। किसान समस्याओं का निस्तारण पहली प्राथमिकता है। किसान पंचायत में त्रिवेनी चौधरी, दीप नरायन, विनोद कुमार चौधरी, ब्रम्हदेव चौधरी, पंचराम, रामपाल सिंह, राधेश्याम, सीताराम, राम सुरेमन, रमेश चन्द्र, राम शब्द, कन्हैया प्रसाद, राजेन्द्र कुमार, बगेदू, शिवसागर, रामभवन यादव, आज्ञाराम, महाबीर, राम उग्रह, रविन्द्र कुमार, मो. सलीम, सुभावती देवी, परसुराम के साथ ही भाकियू के अनेक पदाधिकारी शामिल रहे।

युगों तक याद किये जायेंगे छत्रपति साहू जी महाराज

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । प्रजातंत्र की मूल भावना की स्थापना के लिये आजीवन संघर्ष करने वाले छत्रपति साहू जी महाराज को उनकी 150 वीं जयन्ती पर याद किया गया। कुर्मी महासभा द्वारा पटेल एस एम एच एण्ड पैरा मेडिकल कॉलेज गोटवा में साहू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर योगदान पर विमर्श किया गया।

मुख्य अतिथि पूर्वांचल विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंद सिंह पटेल ने कहा कि छत्रपति साहू महाराज ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने राजा होते हुए भी दलित और शोषित वर्ग के कष्ट को समझा और सदा उनसे निकटता बनाए रखी। उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की थी। गरीब छात्रों के छात्रावास स्थापित किये और बाहरी छात्रों को शरण प्रदान करने के आदेश दिए। उनका योगदान सदैव याद किया जायेगा।

कुर्मी महासभा जिलाध्यक्ष डा. वी.के. वर्मा ने कहा कि साहू महाराज के शासन के दौरान 'बाल विवाह' पर ईमानदारी से प्रतिबंधित लगाया गया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में समर्थन की आवाज उठाई थी। इन गतिविधियों के लिए महाराज साहू को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। साहू महाराज ज्योतिबा फुले से प्रभावित थे और लंबे समय तक 'सत्य शोधक समाज', फुले द्वारा गठित संस्था के संरक्षक भी रहे। ऐसे महापुरूषों से प्रेरणा लेने की जरूरत है।

–दलितो, वंचितों को साहू जी महाराज ने नई दिशा दिया–अरविंद सिंह पटेल

विशिष्ट अतिथि प्रदेश संगठन सचिव आर. के. सिंह पटेल, मंडल उपाध्यक्ष बद्री प्रसाद चौधरी, अशोक कुमार चौधरी, डा. आलोक रंजन वर्मा, अशोक वर्मा , डॉ0 रघुनाथ पटेल, हनुमान प्रसाद चौधरी ,मनसा राम चौधरी , रामदयाल पटेल , सुभाष चौधरी आदि ने कहा कि छत्रपति साहू महाराज ने दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए विद्यालय खोले और छात्रावास बनवाए। इससे उनमें शिक्षा का प्रचार हुआ और सामाजिक स्थिति बदलने लगी। परन्तु उच्च वर्ग के लोगों ने इसका विरोध किया। वे छत्रपति साहू महाराज को अपना शत्रु समझने लगे। उनके पुरोहित तक ने यह कह दिया कि– 'आप शूद्र हैं और शूद्र को वेद के मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है। छत्रपति साहू महाराज ने इस सारे विरोध का डट कर सामना किया।

जयन्ती अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में संतोष कुमार चौधरी, दूधनाथ पटेल, मनीष प्रजापति, रामपूरन ,सुभाष, चन्द्र शेखर, दिनेश चौधरी, लाल यादव, रितेश चौधरी, कविता, मनीषा, पूजा, माया ,अनीता चौधरी ,गोल्डी वर्मा ,लक्ष्मी यादव ,सूरज ,उदयभान ,शिवप्रसाद चौधरी, अमित चौधरी, सत्य प्रकाश, राम प्रकाश ,रामदयाल चौधरी आदि शामिल रहे।

सेंगोल भारत का गौरवः सपा के मन में भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं- योगी

लखनऊ (आभा)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेंगोल (राजदंड) को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) पर प्रहार करते हुए गुरूवार को कहा कि सपा के मन में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं है। योगी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'समाजवादी पार्टी के मन में भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं है।' उनका यह पोस्ट अंग्रेजी में है। उन्होंने कहा, 'सेंगोल पर उसके शीर्ष नेताओं की टिप्पणियां निंदनीय हैं। यह उनकी अज्ञानता को दर्शाती है। यह विशेष रूप से तमिल संस्कृति के प्रति इंडी गठबंधन की नफरत को भी दर्शाता है।' योगी ने लिखा, 'सेंगोल भारत का गौरव है। यह सम्मान की बात है

कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे संसद में सर्वोच्च सम्मान दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद आर के चौधरी ने विगत दिनों प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखकर सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए उसे संसद भवन से हटाने की मांग की थी।

ज्ञात रहे यूपी की मोहनलालगंज लोकसभा सीट से सांसद आरके चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को लिखे पत्र में सेंगोल को हटाने की मांग की थी। चौधरी ने कहा था, 'मैं जब शपथ ले रहा था तो वहीं पर सेंगोल लगा देखा। इसका सेंगोल का अर्थ राजदंड से है। राजदंड का मतलब होता है, राजा का दंड। अब जब देश में लोकतंत्र है और व्यवस्था संविधान के अनुसार चल रही है तो फिर इसकी हमें क्या जरूरत है। इसे सदन से हटा देना चाहिए। राजा–रजवाड़ों का शासन खत्म करके ही देश में लोकतंत्र लाया गया था। इसलिए अब इसकी हमें क्या जरूरत है। अब तो देश संविधान से ही चलना चाहिए।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 28 जून 2024 शुक्रवार

सम्पादकीय

नये आपराधिक कानून

अगस्त 2023 एक ऐसा दौर था जब पिछली सरकार का अहंकार अपने क्रूर बहुमत के साथ पूरी तरह से प्रदर्शित हुआ था। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, लोकसभा अध्यक्ष ने रिकॉर्ड 146 सांसदों को निलंबित कर दिया था। वे केवल नए संसद भवन के अंदर हुए हमले पर प्रधानमंत्री द्वारा एक बयान की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जैसा कि उनका रवैया था टस से मस नहीं हुए और इसके बजाय अध्यक्ष ने विरोध करने वाले सांसदों को निलंबित कर दिया।

निलंबन की इस अवधि के दौरान ही अत्यधिक विवादास्पद नए आपराधिक कानून बिना किसी बहस और चर्चा के पारित कर दिए गए। हालांकि इन्हें संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया था, लेकिन विपक्षी सदस्यों के विचारों को नजरअंदाज कर दिया गया और सरकार ने नए विधेयकों को पारित कर दिया, जिन्हें बाद में नए कानूनों में बदल दिया गया और जिन्हें अब से कुछ दिनों बाद 1 जुलाई को लागू किया जाना है।

इस तथ्य के अलावा कि इन्हें अनुचित जल्दबाजी में पारित किया गया था, नए आपराधिक कानूनों के कुछ प्रावधान गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत के मामलों में ब्रिटिश काल के कानूनों से भी बदतर हैं। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, क्रमशः भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह लेंगे।

एक प्रमुख दोष जो मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है, वह है पुलिस हिरासत में रखे जाने वाले दिनों की संख्या में वृद्धि का प्रावधान। जबकि मौजूदा कानूनों के तहत, उसे 15 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है, संशोधित प्रावधान में कथित अपराध की गंभीरता के आधार पर 60 से 90 दिनों की पुलिस हिरासत का प्रावधान है। इस प्रावधान का दुरुपयोग होने की संभावना है क्योंकि पुलिस को केवल संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है। हालांकि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का प्रावधान है, लेकिन यह सर्वविदित है कि मैजिस्ट्रेट लगभग हमेशा पुलिस रिमांड के लिए सहमत होते हैं। इसलिए अब किसी भी व्यक्ति को जेल नहीं बल्कि जमानत के सिद्धांत के विपरीत 90 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखना आदर्श होगा।

विपरीत निर्णय और उच्च न्यायालयों द्वारा आदेशों को पलटने की आशंका के कारण निचली अदालतें जमानत नहीं देती हैं। इसी तरह उच्च न्यायालय भी विपरीत टिप्पणी और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के डर से जमानत नहीं देती है। इससे न्याय मिलने में अनावश्यक देरी होती है। पुलिस की यह शक्ति, जिसमें षड्यंत्र के आरोपी भी शामिल हैं, नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित गंभीर परिणामों को जन्म दे सकती है। पुलिस को बुनियादी आरोप स्थापित करने में इतना लंबा समय क्यों लगना चाहिए? और विडंबना यह है कि पुलिस को दिया गया बयान अदालतों में सबूत के तौर पर स्वीकार्य नहीं है! नए कानूनों का एक अन्य प्रावधान बी.एन.एस.एस. की धारा 173(3) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) के पंजीकरण से संबंधित है। यह ऐसे अपराध के लिए एफ.आई.आर. दर्ज करने को विवेकाधीन बना देगा जिसमें सजा 3 से 7 साल तक है।

यह हाशिए पर पड़े समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है जो एफ.आई.आर. भी दर्ज नहीं करवा पाएंगे। एक अन्य प्रावधान जिसके दुरुपयोग की संभावना है, वह राजद्रोह से संबंधित कानूनों से संबंधित है। बी.एन.एस. की धारा 152 के तहत चार तरह की गतिविधियों को कानूनी परिभाषा दिए बिना अपराध घोषित किया गया है विध्वंसकारी गतिविधियां, अलगाववाद, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली अलगाववादी गतिविधियां और सशस्त्र विद्रोह। इससे दुरुपयोग हो सकता है और न्याय मिलने में देरी हो सकती है। कई अन्य खामियां हैं जिनसे निपटा जाना चाहिए और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए सबसे अच्छे कानूनी दिमागों को शामिल किया जाना चाहिए। इस तथ्य को देखते हुए कि ये नए कानून जो अनुचित रूप से जल्दबाजी में पारित किए गए हैं लाखों नागरिकों को प्रभावित करेंगे। यह जरूरी है कि व्यापक प्रतिनिधित्व वाली नई संसद इन कानूनों पर फिर से चर्चा करे और गहन चर्चा के बाद एक उचित निर्णय ले। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट को नए कानूनों का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और सरकार से इन कानूनों को लागू करने से पहले समीक्षा करने के लिए कहना चाहिए।

नये आपराधिक कानूनों और क्रियान्वयन की चुनौती

—के.पी. सिंह—

तीन नये आपराधिक कानून, अर्थात्ः भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (बीएसए) 1 जुलाई, 2024 से लागू होने जा रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चन्द्रचूड़ ने आपराधिक प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से बनाए गए नए कानूनों की सराहना की है और उन्हें भारतीय न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जबकि कानूनी बिरादरी के एक वर्ग ने इन कानूनों के कुछ प्रावधानों की अनिश्चितता, अस्पष्टता और संवैधानिकता के बारे में गम्भीर चिंता जताई है।

ममता बनर्जी सहित विपक्षी राजनीतिक दल मांग कर रहे हैं कि नये अधिनियमों को तब तक स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक कि लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य उनकी संस्तुति नहीं कर देते। उनका तर्क है कि ये कानून संसद में बिना किसी सार्थक बहस के जल्दबाजी में पारित कर दिए गए थे, क्योंकि अधिकांश विपक्षी सदस्य निलम्बित थे। नए आपराधिक कानूनों की वैधता के बारे में इतनी देरी से चिन्ता व्यक्त करना अवसरों को गंवाने के अलावा और कुछ नहीं है, ये कानून तीन साल की लम्बी परामर्श प्रक्रिया और हितधारकों के साथ व्यापक विचार–विमर्श के बाद बनाए गए थे। इसके बाद गृह मंत्रालय की संसदीय समिति द्वारा इन कानूनों की गहन जांच की गई थी। यहां तक कि दो अलग–अलग अवसरों पर सार्वजनिक नोटिस के जरिए जनता से सुझाव भी मांगे गए थे। सरकार इनमें से किसी भी मांग के आगे नहीं झुक रही है और कानूनों को लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रही है।

इसके अतिरिक्त, नए प्रावधानों की असंवैधानिकता के बारे में चिंताएं इस तथ्य के मद्देनजर सही नहीं हैं कि बीएनएस में बदलाव मुख्य रूप से नवतेज जौहर (2018), जोसेफ शाइन (2018) और पी. रथिनम (1994) के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का प्रतिबिम्ब है। भारतीय न्याय संहिता से राजद्रोह की धारा हटाना राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में शीर्ष अदालत में केन्द्र सरकार के हलफनामे पर क्रियान्वयन दर्शाता है, साथ ही इसमें लम्बे समय से लम्बित राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को भी सम्बोधित किया गया है। बीएनएसएस और बीएसए में संशोधनों पर आपत्तियां भी उचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि इनके मूल रूप से आपराधिक कार्रवाई का डिजिटलीकरण और पीड़ित तथा नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रावधानों को शामिल करना है। इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण जांच और त्वरित न्याय की मांग को पूरा करने के लिए आपराधिक प्रक्रियाओं को फिर से स्थापित किया गया है।

विशेषज्ञों की अलग–अलग राय के बावजूद, नये कानूनों का क्रियान्वयन आसान नहीं होगा क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के बुनियादी ढांचे का निर्माण, हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, नियम और संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित करना, मानक प्रपत्रों में संशोधन करना और परिचालन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए अन्तर–एजेंसी समन्वय करना शामिल है। साथ ही एक बात जो विश्वास दिलाती है कि ये कानून समय पर लागू होंगे यह है कि एक अनुभवी और समय–परीक्षणित आपराधिक न्याय प्रणाली अस्तित्व में है जिसमें किसी भी बदलाव को अपनाने और सीमित संसाधनों के साथ किसी भी समस्या का व्यावहारिक समाधान खोजने की कुव्वत है। नये कानून तय समय पर लागू होंगे, इसका एक और आश्वासन इस हकीकत से भी मिलता है कि पुलिस, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों को बड़े पैमाने पर क्षमता–निर्माण प्रशिक्षण दिया गया है, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है।

हालांकि, कानून लागू करने की व्यवस्था से जुड़े कुछ अधिकारी अभी भी आशंकित हैं, उनका तर्क है कि नए कानूनों के सफल प्रवर्तन से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अभी भी सम्बोधित किया जाना बाकी है, ताकि अधिनियमों का निर्बाध प्रवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। बीएनएसएस में कई अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं, जिसमें तलाशियों, जब्तियों और अपराध के दृश्य की वीडियोग्राफी और केस प्रॉपर्टी आदि की फोटोग्राफी शामिल है, जिनके लिए शुरुआत से ही इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल तकनीकी का प्रयोग करना आवश्यक होगा। हालात यह है कि सभी जांचकर्ताओं और निर्णायकों को अभी भी उपयुक्त उपकरण और तकनीकी प्रदान करके उनका उपयोग करना सिखाना अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है, ताकि आवश्यक डिजिटल आउटपुट समान रूप से और स्वीकार्य रूप में उत्पन्न, सुरक्षित और संगृहीत किए जा सकें। इसके अतिरिक्त, ई–कोर्ट कार्यवाही का संचालन और इलेक्ट्रॉनिक संचार आदि के माध्यम से समन और वारंट भेजने सहित कई अन्य प्रक्रियाएं हैं, जिनके लिए अदालतों, पुलिस स्टेशनों और जेलों का बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण, नियमों का मानकीकरण, तकनीकी और सहायक कर्मचारियों की भर्ती और प्रशिक्षण, वित्तीय संसाधन और अंतर–एजेंसी समन्वय अति आवश्यक होंगे। जमीनी हकीकत यह है कि अभी तक अधिकांश राज्यों में इस दिशा में कुछ भी ठोस नहीं किया गया है।

बीएनएस में दी गई दंड की सूची में 'सामुदायिक सेवा' को भी शामिल कर लिया गया है, वस्तुस्थिति यह है कि एजेंसियों को अभी तक इस सजा को लागू करने के अधिकार क्षेत्र के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, न ही इस सजा को भुगतने के लिए आवश्यक संस्थानों की पहचान करके नियम बनाए गए है। नए कानूनों से सम्बन्धित प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक नियमों के अभाव में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनेक मुख्य प्रावधानों जैसे– गवाहों की सुरक्षा, आरोपित की अनुपस्थिति में मुकदमे की कार्यवाही, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सम्मन और वारंट भेजना, अपराध करके अर्जित की गई सम्पत्ति को जब्त करके पीड़ितों में बांटना, माल मुकदमे का समय पर निपटान, अनुसंधान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी इत्यादि को लागू करना लगभग असम्भव होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि इन नियमों को बनाने के लिए राज्यों को आवश्यक दिशा–निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि न्याय व्यवस्था के सभी अंग अपने–अपने क्षेत्र में पुनः उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें क्रियान्वयन से सम्बन्धित नियम और प्रोटोकोल बनाना नितान्त आवश्यक है। व्यापक पैमाने पर तकनीकी, कानूनी व अन्य सहायक कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिसे अब और लम्बित नहीं रखा जा सकता।

अपराध एवं अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए नेटवर्क (सीसीटीएनएस) तथा न्याय व्यवस्था से जुड़ी हुई संस्थाओं के बीच समन्वयक सॉफ्टवेयर का उन्नयन और आधुनिकीकरण अभी तक पूरा नहीं हो सका है। यह जानना जरूरी हो जाता है कि यह कार्य राज्य स्वयं में पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। इसके लिए राज्यों को केन्द्र सरकार की एजेंसियों से आवश्यक तकनीकी सॉफ्टवेयर तथा मार्गदर्शन की दरकार होगी।

निःसंदेह, नये कानूनों को लागू करने के पथ में राज्य सरकारों का आगे बढ़ना बिना केन्द्र सरकार के सहयोग और सहारे के चलना सम्भव नहीं होगा। कदम–कदम पर राज्यों को केन्द्र सरकार की मदद की जरूरत होगी। नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के साथ केन्द्र सरकार की निष्ठा और तत्परता भी जुड़ी हुई है, अतः केन्द्रीय एजेंसियों को चाहिए कि राज्य सरकारों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करें ताकि इन कानूनों को समयबद्ध और सुचारु रूप से लागू किया जा सके।— लेखक हरियाणा के पुलिस महानिदेशक रहे हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितना उपयोगी

-डा. सत्यवान सौरभ-

एआई के अनुप्रयोग का दायरा बढ़ता जा रहा है और ये अधिक विशाल होता जा रहा है, ये ऊर्जा की खपत को अनुकूलित करने से लेकर परिवहन के ऐसे रूपों में भी योगदान दे रहे हैं, जिससे समाज का भला हो।स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, एआई ने मेडिकल इमेजिंग को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्तीय उद्योग में, एआई वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाने और जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल कर रहा है। उदाहरण के लिए, बैंक और वित्तीय संस्थान वास्तविक समय में विशाल लेनदेन डेटा का विश्लेषण करने, धोखाधड़ी से जुड़ी गतिविधियों का पता लगाने और वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए "फीडजई जैसे एआई एल्गोरिदम का उपयोग कर रहे हैं। एआई–संचालित रोबो–सलाहकार, जैसे 'वेल्थफ्रंट' और "बेटरमेंट", ग्राहकों की जोखिम सहनशीलता के आधार पर व्यक्तिगत निवेश, वित्तीय लक्ष्यों और बाजार की स्थितियों के आधार पर वित्तीय रणनीतियों में मदद करते हैं, जिससे धन प्रबंधन अधिक सुलभ और कुशल हो जाता है। शिक्षा क्षेत्र में, "डुओलिंगो" जैसे एआई–संचालित प्लेटफार्मों ने व्यक्तिगत ट्यूशन, अनुकूली शिक्षण पथ और रियल टाइम प्रतिक्रिया के माध्यम से भाषा सीखने में क्रांति ला दी है। "कॉग्नि" जैसे एआई–आधारित प्लेटफार्मों का उपयोग करने वाले छात्र स्वचालित ग्रेडिंग सिस्टम से लाभान्वित होते हैं साथ ही ये अपने निबंधों का मूल्यांकन करते हैं और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सीखने के अनुभव को बढ़ाते हैं और शिक्षकों पर बोझ को कम करते हैं। इसके अलावा, "स्मार्टी पिन" और "खान अकादमी" जैसे एआई–सक्षम शैक्षिक उपकरण जटिल अवधारणाओं की गहरी समझ को बढ़ावा देते हुए, गेमिफिकेशन और इंटरैक्टिव सामग्री के माध्यम से छात्रों को संलग्न करते हैं। हालाँकि, एआई का नकारात्मक प्रभाव मुंबई की घटना जैसे उदाहरणों में भी स्पष्ट है, जहां एआई वॉयस मॉड्यूलेशन का दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए शोषण किया गया था, जिससे एक नकली अपहरण परिदृश्य तैयार हुआ। ऐसी घटनाएं एआई के दुरुपयोग को रोकने और व्यक्तियों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए सख्त नियमों की आवश्यकता पर जोर देती हैं। इस प्रकार, एआई का महत्व जटिल चुनौतियों का समाधान करने और नए अवसर पैदा करने की क्षमता में निहित है, ऐसे में देखा जाए तो हम प्रौद्योगिकी के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं और अपने व्यवसाय को कैसे संचालित करते हैं, इसे भी परिभाषित करने की आवश्यकता है।

कार्यालय–नगर पालिका परिषद्–बस्ती

पत्रांक–1604C /न०पा०प०ब०/निविदा आमंत्रण/2024–25 दिनांकः– 27.06.2024

अल्प कालिक निविदा सूचना

एतदद्वारा सर्वसाधारण / नगर पालिका परिषद बस्ती के पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है, कि जिलाधिकारी महोदय बस्ती के पत्र संख्या– 756 (5)/एल०बी०सी०/2023–24 दिनांक 12 मार्च 2024 के अनुपालन में 15वाँ वित्त आयोग में अनटाइड ग्राण्ट के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्नलिखित कार्य कराये जाने है, जिसकी स्वीकृति शासन द्वारा गठित समिति से प्राप्त हो चुकी है, के कम में शील बन्द निविदा दिनांक 12.07.2024 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपरान्ह 3.०० बजे उपस्थित ठेकेदार अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष सभागार जिलाधिकारी बस्ती में खोले जायेंगे। निविदा प्रपत्र दिनांक 12.07.2024 को समय 2.00 बजे तक निर्धारित कीमत जमा करके कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती, कार्यालय उपजिलाधिकारी बस्ती, कार्यालय अपर जिलाधिकारी /प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती से प्राप्त किया जा सकता है। कार्यों के बावत धरोहर धनराशि आगणन धनराशि का 02 प्रतिशत की धनराशि एन०एस०सी०/राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ०डी०आर० के रुप में स्वीकार किया जायेगा, जो अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद बस्ती के पद नाम से बन्धक होना अनिवार्य होगा। जिसे निविदा डालते समय निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर धनराशि के किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा को पर्याप्त कारण का उल्लेख करते हुए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा। निविदा के साथ जिलाधिकारी महोदय बस्ती द्वारा निर्गत वैध चरित्र व हैसियत की प्रमाणित प्रति प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा डालते समय अलग–अलग कार्य के लिए अलग–अलग निविदा जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी निविदा, निविदा के किसी भी भाग अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार मा० अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बस्ती में निहीत होगा। इस सम्बन्ध में ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा। निविदा के साथ टी– 04 टी– 06 तथा पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं जी०एस०टी० प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही शासनादेश संख्या 24वी०आई०पी० (1) / नौ–5–2017–120 बजट/2013 दिनांक 24 अगस्त, 2017 के अनुपालन में निर्गत वैध निविदा के इण्टरलाकिंग सडक/ पटरी / पाथवे/सी०सी० रोड / आदि कार्यों में निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 05 वर्ष तक अनुरक्षण / रख–रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। तथा परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि परफारमेन्स गारण्टी के रुप में 05 वर्ष रोकने के उपरान्त इण्टरलाकिंग सड़क/पटरी/पाथवे सी०सी० रोड / आदि कार्यों के समुचित रख–रखाव होने की दशा में ही भुगतान की कार्यवाही जायेगी। ठेकेदार के बिल से 01 प्रतिशत की दर से लेबर सेस की कटौती की जायेगी। तथा नियमानुसार जी०एस०टी० आदि की कटौती की जायेगी। टेण्डर फार्म की कीमत नॉन रिफन्डेबुल होगी।

कार्य का विवरण

क्रमांक	कार्य का नाम	आगणित धनराशि लाख में	धरोहर धनराशि 02 प्रतिशत	कीमत टेण्डर फार्म रूपये में	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा फार्म विक्री स्थल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15वाँ वित्त आयोग में अनटाइड ग्राण्ट के अन्तर्गत निर्माण कार्यो का विवरणः–								
01	वार्ड नं0–01 नरहरिया धोबी टोला में नन्द लाल के मकान से सुनील प्रजापति, दिलीप के मकान होते हुए पल्टू राम के मकान इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4.34	8,700.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
02	वार्ड नं0– 01 नरहरिया प्रहलाद कालोनी में जितेन्द्र के मकान से अंकित प्रजापति के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली सुधार कार्य।	3.83	7,700.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
03	वार्ड नं0– 02 मिश्रौलिया गदहाखोर में वीरेन्द्र शर्मा के मकान से विनय रावत के मकान होते हुए रमेश चौरसिया के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली सुधार कार्य।	6.66	13,500.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
04	वार्ड नं0– 03 मुरलीजोत में जामिया काम्पलेक्स से शिवपूजन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6.32	12,700.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
05	वार्ड नं0– 04 पाण्डेय बाजार में मेहदावल मार्ग पर ज्वाला प्रसाद अग्रहरी के बाउण्ड्रीवाल से विधाय कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली सुधार कार्य।	8.03	16,100.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
06	वार्ड नं0– 05 पिकौरा शिवमुतम में पाण्डेय स्कूल के पीछे जगदीश गौड के मकान से शाबिर अली के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6.53	13,100.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
07	वार्ड नं0– 06 चिकवा टोला मो0 इस्माईल के मकान से अली हुसैन के मकान होते हुए सार्वजनिक भीचालय तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली सुधार कार्य।	6.81	13,700.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
08	वार्ड नं0– 07 सुर्तीहट्टा राजा बाजार में सुभाष अग्रहरी के मकान से सेन्द्रन बैंक चौराहे तक नाली निर्माण कार्य।	6.70	13,500.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
09	वार्ड नं0–08 तुरकहिया स्काउट प्रेस के पीछे अताउर रहमान के मकान से डा0 तय्यब, बन्दना के मकान होते हुए तिराहा के पहले तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	9.47	19,000.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
10	वार्ड नं0–09 विशुनपुरवा में मलग बाबा मजार से मो0 सलीम के मकान के आगे तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली सुधार कार्य।	7.05	14,100.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती

पेज तीन पर जारी

11	वार्ड न०– 10 माली टोला तुरकहिया में आलोक शुक्ला के मकान से दिनेश शुक्ला के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली सुधार कार्य।	3.89	7800.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
12	वार्ड नं०– 10 माली टोला में पिन्ट सोनकर के मकान पण्डित सोनकर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	4.47	9,000.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
13	वार्ड न०– 11 पठान टोला, माली टोला कन्हैया गाली के मकान से सुनील सोनी के मकान तक व राम कुमार के मकान से दीपू लाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली सुधार कार्य।	6.12	12,300.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
14	वार्ड नं०– 12 रौतापार में मदन लाल श्रीवास्तव के प्लाट से विष्णु कुमार राय के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली निर्माण कार्य।	4.79	9,600.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
15	वार्ड नं०– 12 रौतापार में राम लौट पटवारी के मकान से सुरेश चन्द्र पाण्डेय के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक सुधार कार्य।	9.30	8,600.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
16	वार्ड नं 13 नहरीवादा में मु देदी के मकान से राम गोपाल के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क प नाली निर्माण कार्य।	6.48	13,000.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
17	वार्ड न०– 14 गढ़गोडिया में लाल 6 बिहारी गुप्ता के मकान से बाजीर अहमद के मकान तक इन्टरलाकिंग सड़क व नाली सुधार कार्य।	6.49	13,000.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
18	वार्ड न०– 15 पिकोरा दत्तूराय में 4 मालवीय मार्ग से बचपन स्कूल होते हुए विजय कुमार मिश्रा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली सुधार कार्य।	4.09	8200.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
19	वार्ड नं0– 15 पिकोरा दत्तूराय में 2 संजय श्रीवास्तव के मकान से सोनू श्रीवास्तव के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली सुधार कार्य।	2.35	4700.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
20	वार्ड नं– 16 कम्पनी बाग में 3. महरीखावा मार्ग से मुदुल शुक्ला के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली सुधार कार्य।	3.44	6900.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
21	वार्ड न०– 16 कम्पनी बाग गोड़िया 3. टोला में पकज मिश्रा के मकान से सचिन गुप्ता के मकान तक ह्यूम पाइप डालने का कार्य।	3.57	7200.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
22	वार्ड नं०– 17 पुराना डाकखाना में 4. राहुल चौधरी के मकान से बसेनू मौर्या के मकान तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली निर्माण कार्य।	4.30	8,600.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
23	वार्ड नं0– 17 पुराना डाकखाना 2 विकास भवन के पीछे सजय के मकान से रवि रावत के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.25	4500.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
24	वार्ड न०– 18 बेलवाजाडी में अमित 8. श्रीवास्तव के मकान से बटी के मकान के होते हुए मेन रोड तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली सुपार कार्य।	8.31	16,700.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
25	वार्ड न०– 19 ओरीजीत जयपुरवा में 6 राज बहादुर चौधरी के मकान से तिराहे के पहले तक इण्टरलाकिंग सडक व नाली सुधार कार्य।	6.91	13,900.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
26	वार्ड नं0–20 इटेलिया में रेलवे 6.3 स्टेशन मार्ग पर इमरान के मकान से डा० एस०ए०न० गुप्ता के मकान तक इण्टरलाकिंग सबक व नाली सुधार कार्य।	6.56	13,200.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
27	वार्ड नं0– 21 रामेश्वरपुरी बभनगांवा में गांधीनगर मुख्य मार्ग पर काजू मेन्स वियर से केशव भवन तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	6.17	12,400.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
28	वार्ड नं0– 22 बैरिहंवा अनिल श्रीवास्तव के बाउण्ड्रीवाल से नीरज श्रीवास्तव के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली सुधार कार्य।	3.29	6600.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
29	वार्ड नं0– 23 आवास विकास में अमर नाथ गुप्ता के मकान हरी श्रीवास्तव के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली सुधार कार्य।	9.26	18,600.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
30	वार्ड नं0– 24 कटरा में राम श्याम वर्मा के मकान से नन्दलाल यादव के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली सुधार कार्य।	7.02	14,100.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती
31	वार्ड नं0– 25 पिकौरा बक्स में बीनाराय के मकान से गौरव सेट्ठी के मकान के पहले तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली सुधार कार्य।	6.87	13.800.00	300+500 +54 =854.00	02 माह	कार्यालय उप जिलाधिकारी बस्ती	प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय बस्ती	कार्यालय नगर पालिका परिषद बस्ती

नोटः–

1– 100 रुपये के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारुप पर नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा।

02– अनुबन्ध हेतु सूचना पर तीन दिवस के भीतर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में विलम्ब होने पर अर्थदण्ड अथवा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

03– सम्पादित किये गये इण्टरलाकिंग सड़क /पटरी/सी०सी० रोड/आदि कार्यो के रख–रखाव की अवधि पाँच वर्ष तक की होगी।

04– निविदा प्रपत्रों की बिकी अथवा प्राप्त करने के दिवस में अवकाश होने की स्थिति में निविदा विक्री एवं प्राप्ति अगले कार्यदिवस में होगी।

05– अन्तिम भुगतान के एक वर्ष बाद अवर अभियन्ता नगर पालिका परिषद वस्ती के सत्यापन के पश्चात कार्य सन्तोषजनक पाये जाने के उपरान्त ही 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।

06– प्रत्येक कार्य का प्रारम्भ होने के पूर्व कार्य सम्पादन के दौरान तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त जियोटैग फोटोग्राफ्स कराकर प्रस्तुत करना होगा तदुपरान्त ही बिल के भुगतान की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

07– जाच के समय सम्बन्धित ठेकेदार को कार्य स्थल पर उपस्थित रहना होगा। जांच में कोई कमी पायी जाती है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी।

08– निविदादाता को अपने निविदा के साथ नगर पालिका परिषद बस्ती में कार्यरत सगे सम्बन्धी न होने का शपथ पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

09– समस्त कार्यो को समय से पूर्ण करने की पूरी जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। कार्य समय से पूर्ण न होने पर जमा जमानत धनराशि जब्त करते हुए निविदा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है।

10– निर्माण कार्यो का पंजीकरण/कार्य स्थल का पंजीकरण/कार्य में लगे हुए समस्त श्रमिकों का पंजीकरण कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। ठेकेदार को अनुबन्ध के साथ पंजीकरण सम्बन्धी अभिलेख नगर पालिका को उपलब्ध कराना होगा पंजीकरण सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध न कराने की दशा में भुगतान नहीं किया जायेगा।

11– निविदा स्वीकृति के पश्चात अनुबन्ध के समय अवशेष 08 प्रतिशत की धरोहर धनराशि जमा करके अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।

12– उपरोक्त सभी कार्यो के प्रत्येक भुगतान के पूर्व तकनीकी विभाग द्वारा लैबोटरी जाच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13– उक्त निविदा के इण्टरलाकिंग सडक/पटरी/पाथवे/सी०सी० रोड/आदि कार्यो में निर्माण पूर्ण होने के पश्चात 05 वर्ष तक अनुरक्षणध्रख–रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी। तथा परियोजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि पर परफारमेन्स गारण्टी के रुप में 05 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क/कार्य के समुचित रख–रखाव होने की दशा में ही भुगतान की जायेगी। शासनादेश सख्या 24 वी०आई०पी० (1) / नौ–5–2017–120 बजट/2013 दिनाक 24 अगस्त, 2017 का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

14– टेण्डर फार्म प्राप्त करने हेतु अलग–अलग मूल्य का धनराशि नकद जमा करना होगा। तदुपरान्त ही निविदा फार्म दिया जायेगा। निविदा फार्म प्राप्त करने हेतु नगर पालिका परिषद बस्ती द्वारा निर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 का ठेकेदारी हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

15– शासनादेश संख्या– 3890/नौ–5–19–149सा / 2019 नगर विकास अनुभाग–5 दिनांक– 20.09.2019 का अनुपालन करना होगा।

अवर अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अधिकारी/ उप जिलाधिकारी (न्यायिक)	अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद बस्ती	नगर पालिका परिषद बस्ती	नगर पालिका परिषद बस्ती	नगर पालिका परिषद बस्ती

पत्राक–1604C /न०पा०प०ब०/निविदा आमंत्रण/2024–25 दिनांकः– 27.06.2024

सिसवा नगर पालिका अध्यक्ष का पॉवर सीज

संवाददाता–महराजगंज।

शासन के नगर विकास अनुभाग ने नगर पालिका सिसवा की अध्यक्ष शकुतला देवी का वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिया है। आरोपों की जांच के लिए जिलाधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच अवधि तक अध्यक्ष के वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यो के संचालन के लिए एसडीएम स्तर के अधिकारी को नामित करने का आदेश दिया है।

सिसवा नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ चार प्रमुख शिकायतों की जांच के बाद तत्कालीन डीएम ने शासन को आख्या भेजी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर नगर विकास अनुभाग ने अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा था। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर शासन ने अध्यक्ष का पॉवर सीज करते हुए डीएम को जांच अधिकारी नामित किया है।

नगर पालिका सिसवा के खाते में 1 अप्रैल 2022 को 4 करोड़ 45 लाख 79 हजार 277 रुपया था। उस दिन हुई बोर्ड की पहली बैठक में 11 करोड़ 58 लाख 69 हजार रुपये के कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गई। यह धनराशि नगर पालिका के पास उपलब्ध धनराशि से 7 करोड़ 12 लाख 89 हजार 722 रुपया अधिक थी। शिकायत की जांच में डीएम ने यह बात सामने आई कि उपलब्ध धनराशि लगभग 4.45 करोड़ के सापेक्ष 11.78 करोड़ के कार्यो की स्वीकृति प्रदान किया जाना वित्तीय नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। इसके अलावा 28 मई 2022 को निविदा निकाली गई थी, जिसमें तीन माह में कार्य पूरा करने का समय निर्धारित किया था। नगर पालिका को प्रति माह सरकार से 1 करोड़ 60 लाख 88 हजार 362 रुपया मिलता है। इसमें से वेतन आदि पर 30 लाख प्रति माह व्यय होता है। शेष 130.00 लाख कार्यो के लिए नियत रहता है। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्य समाप्ति तक सरकार से प्राप्त धनराशि में से कार्य के लिए धनराशि 650 लाख हो जाती है। 7 मई 2022 को 1178.60 लाख रुपया साठ कार्यो के लिए टेंडर निकाला गया। इसमें से 16 कार्यो में तकनीकी स्वीकृति ली गई। 44 कार्यो में तकनीकी स्वीकृति नहीं ली गई। इसके बाद भी सभी कार्यो के लिए निविदा आमंत्रित की गई। जबकि मानक संचालन प्रक्रिया विषयक शासनादेश के अनुसार प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति निविदा आमंत्रण के पूर्व लिया जाना अनिवार्य है। जिलाधिकारी की परीक्षण आख्या में पाया गया है कि तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये बिना निविदा आमंत्रित किया जाना वित्तीय नियमों के अनुरूप नहीं है। नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति 31 अगस्त 2022 को की गई थी। इसकी शिकायत पर मुख्य कोषाधिकारी, एसडीएम निचलौल एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, महराजगंज की त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित की गई। जांच टीम 15 दिसंबर 2022 को आख्या दी। जिसमें यह यह बताया गया कि नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने पति सहित अन्य कार्मिकों की पदोन्नति व्यक्तिगत हित के मद्देनजर एकल आदेश के द्वारा की गयी है। नियमानुसार कोई भी पदोन्नति एक निश्चित समिति के माध्यम से की जानी चाहिए थी। जांच रिपोर्ट में पदोन्नति की कार्यवाही को नियम विरूद्ध एवं शासनादेशों के विपरीत बताया गया।

कसिली फीडर पर संविदाकर्मी का शव रख परिजनों ने किया प्रदर्शन

संवाददाता–देवरिया।

देवरिया क्षेत्र के कसिली–सतरांव विद्युत निगम कार्यालय पर गुरुवार को महुआबारी निवासी और संविदा लाइनमैन अजीत प्रसाद (42 वर्ष) पुत्र सुखदेव प्रसाद का शव रखकर परिजनों ने विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। कुछ देर के लिए आपूर्ति भी ठप कर दी गई थी। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन के बाद परिजन माने।

बरहज के महुआबारी निवासी अजीत प्रसाद का महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। अचानक तबीयत बिगड़ जाने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जहां रास्ते में उनकी मौत हो गई। अजीत की मौत की जानकारी होने पर घर में कोहराम मच गया। लोग उनका शव लेकर उपखंड कार्यालय पर पहुंच गए। जहां विभागीय लापरवाही से हुई मौत का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करने लगे।

परिजन एसएसओ और अधिकारियों को कसूरवार ठहरा रहे थे। जानकारी होने पर एसडीएम अंगद यादव, सीओ आदित्य कुमार गौतम, एसडीओ–टू राधेश्याम चौहान, इंस्पेक्टर राहुल सिंह और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। करीब ढ़ाई घंटे तक मान–मनौव्वल के बाद परिजन माने। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। अजीत कसिली विद्युत निगम कार्यालय में संविदा पर लाइनमैन का काम करते थे। लोगों के अनुसार वह नौ जून को शटडाउन लेकर परसियां भगवती में जंफर जोड़ रहे थे। इसी बीच आपूर्ति बहाल हो गई। जिससे वह बुरी तरह से झुलस गए थे। एसडीओ राधेश्याम चौहान ने बताया कि उच्चाधिकारियों से बात

कर पत्नी को नौकरी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। घटना की जांच कराई जाएगी।

क्षेत्र के महुआबारी गांव निवासी और कसिली फीडर के संविदा लाइनमैन अजीत कुमार नौ जून को परसियां भगवती में जंफर जोड़ने के दौरान आपूर्ति बहाल हो जाने से झुलस गए थे। जिनकी गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। अजीत के मौत से पत्नी सीमा देवी दहाड़ें मारकर रोने लगी। जबकि बच्चों का रो–रोकर बुरा हाल है। लोगों के अनुसार अजीत परिवार के अकेले कमाऊ सदस्य थे। जो किसी तरह परिवार का भरण–पोषण कर रहे थे। उनकी मौत से गांव और क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया। घटना को लेकर सभी लापरवाही बरतने वालों को कोस रहे थे।

अधिवक्ताओं का हड़ताल जारी प्रशासन ने किया वार्ता का अनुरोध

संवाददाता–देवरिया। देवरिया जिलाधिकारी वअधिवक्ताओं के बीच चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया। प्रशासन ने पत्र लिखकर अधिवक्ताओं के प्रतिनिधियों से वार्ता करने का अनुरोध किया। वहीं जिस जयशिव शुक्ला के प्रकरण को लेकर डीएम व अधिवक्ता संघ अध्यक्ष के बीच विवाद हुआ था उसे बुधवार को बरहज के एसडीएम व क्षेत्राधिकारी की उपस्थिति में राजस्व टीम ने सड़क की पैमाइश कर सुलझा दिया है। अब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन व जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में आगे की रणनीति बनायी जायेगी।

बुधवार को आंदोलन के सातवें दिन कलेक्ट्रेट में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन व जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर धरना, प्रदर्शन किया। दीवानी से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर तक अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद अधिवक्ता सभा करने लगे। इसमें एक सप्ताह से चल रहे हड़ताल से वादकारियों को हो रही परेशानी को रखा। इस बीच प्रशासन भी मामले को सुलझाने के प्रयास में लग गया। जिलाधिकारी ने पत्र लिखकर एडीएम वित्त के माध्यम से अधिवक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को अपने विश्राम कक्ष में वार्ता के लिए बुलाया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सिंहासन गिररी व जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि अधिवक्ताओं की महापंचायत के लिए दीवानी व कलेक्ट्रेट बार की संयुक्त आम सभा की गुरुवार की सुबह 9 बजे से संघ भवन में बैठक होगी। इसमें आगे की रणनीति के लिए विचार किया जाएगा। इसमें सुभाष चंद्र राव, सुशील कुमार मिश्रा, अरविंद पांडे, प्रेम शंकर मिश्र, मनीष मौर्य, शिवकुमार मणि, वरुण तिवारी, राधा कृष्ण शुक्ला, मनोज मिश्रा आदि अधिवक्ता शामिल रहे।

उप जिलाधिकारी बरहज अंगद यादव के नेतृत्व में राजस्व टीम व सीओ रुद्रपुर अंशुमान श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आवेदक जय शिव शुक्ल तथा प्रतिपक्ष काशीपति शुक्ल पुत्र हरिदत्त शुक्ल एवं ग्राम प्रधान तथा ग्राम सभा के संभ्रांत व्यक्तियों की उपस्थिति में चकमार्ग संख्या 141 रकबा 0.046 हेक्टेयर का सीमांकन किया गया। इसके लिए प्रथम पक्ष जय शिव शुक्ल एवं प्रतिपक्ष काशीपति शुक्ल ने स्वीकृति प्रदान की। चकमार्ग के दोनों तरफ पत्थर गाड़ कर सीमांकन किया गया। पिच सड़क चकमार्ग संख्या– 141 के रकबे पर ही बनी मिली। एडीएम वित्त एवं राजस्व अरूण कुमार राय ने बताया कि आवेदक के आराजी संख्या 324, रकबा 0.178 हेक्टेयर में से मौके पर रकबा 0.022 हेक्टेयर कम पाया गया, जो परीक्षण में बगल के चक संख्या 327 व 325 से प्रभावित है। आवेदक के कम रकबे को बगल के चक में चिन्हित कर लिया गया है। पूरे प्रकरण का शांतिपूर्ण निस्तारण पक्ष एवं प्रतिपक्ष की सहमति से कर लिया गया है।

डीएम और अधिवक्ता संघ के बीच विवाद को लेकर चल रहे हड़ताल के अब समाप्त होने के आसार दिखने लगे हैं। बुधवार को डीएम ने अधिवक्ता संघ को पत्र भेजकर पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल से वार्ता करने का लिखित प्रस्ताव भेजा। इसको प्रशासन की तरफ से टकराव समाप्त करने के लिए सकारात्मक पहल मानी जा रही है। वहीं दूसरी घटना में बरहज तहसील प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ था उसका सीमांकन कर प्रकरण का निस्तारण भी कर दिया गया। प्रशासन ने अब गेंद अधिवक्ता संघ के पाले में डाल दिया है। अधिवक्ता संघ भी गुरुवार की सुबह 9 बजे बैठक कर इस मामले में निर्णय लेगा।

सदर तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष युगुल किशोर तिवारी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जिला अधिवक्ता संघ के आंदोलन के समर्थन में हड़ताल पर रहे। अधिवक्ताओं ने परिसर में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन इस मामले में लचीला रवैया नहीं अपनता है तो वह अग्र आंदोलन करने के साथ ही तालाबंदी व अनशन करने की चेतावनी दी। हड़ताल में मंत्री राधेश्याम पटेल, कमल मणि, कन्हैया मिश्र, रमाशंकर मिश्र, मनोज श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, सच्चिदानंद श्रीवास्तव, अंबरीश मणि, पूजा, राजीव त्रिपाठी, रामशरण, विष्णु, अजरेश, राधेश्याम, रामछबीला, संतोष, मु. यूसुफ आदि अधिवक्ता शामिल रहे।

1 जुलाई से लागू होंगे नये कानूनः किया जागरूक

संवाददाता–गोण्डा। एक जुलाई से तीन नए क्रिमनल लॉ लागू हो जाएंगे। अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए तीनों कानून आइपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य कानून की जगह अब आराधिक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेंगे। तीनों कानून में अब किस जुर्म में कौन सी धारा लगेगी इसके लिए एसपी विनीत जायसवाल के निर्देश पर पुलिस के अधिकारी लोगों को जिलेभर में जागरूक कर रहे हैं।

एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा नवनिर्मित 03 नये कानूनों को एक जुलाई से लागू किया जा रहा है। जिसके सफल क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए सम्बन्धित से समन्वय स्थापित कर कठिनाई को दूर करने व नये कानूनों को सफलतापूर्वक लागू किये जाने के लिए जनपद व थाना स्तर पर समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसमें जनपद स्तर पर गठित समन्वय समिति में वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, प्रतिसार निरीक्षक, एक निरीक्षक व कम्पयूटर आपरेटर को सम्मिलित किया गया है। जिसके नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत होंगे। इसी प्रकार थाना स्तर पर समन्वय समिति का गठन कर थाना प्रभारी, एक उपनिरीक्षक व कंप्यूटर आपरेटर को सम्मलित किया गया है।

एनसीआरबी ने लांच किया आपराधिक कानूनों का संकलन एप एक जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से पहले एक महत्वपूर्ण एप लांच हुआ है। कानूनों के प्रति जागरूकता के लिए एनसीआरबी का एप्लीकेशन अत्यंत उपयोगी है। पुलिस ने बताया इस एप के जरिये तीनों नये कानूनों का पुराने कधनूनों के साथ तुलनात्मक विवरण दिया गया है और सेक्शन वार विवरण भी दिया गया है जिसका उद्देश्य एक सुलभ मंच पर आगामी कानूनी सुधारों के बारे में आवश्यक जानकारी को समेकित करने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करना है।

कार्यालय, नगर पंचायत गनेशपुर, जनपद-बस्ती

पत्र संख्याः– 84 / न०पं०ग0 / लेखानुभाग / 2024–25 दिनांक 27.06.24

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर विकास अनुभाग 01 के अधिसूचना संख्या 2539 / 9–1–2020–20टी.ए. / 19 लखनऊ दिनांक 20 दिसम्बर, 2020 द्वारा जनपद बस्ती में नगर पंचायत गनेशपुर के सृजन सम्बन्धी अधिसूचना जारी की गयी है। अधिसूचना के अनुसार नगर पंचायतनपुर क्रमशः गनेशपुर, मंझरिया एवं बंधुआ ग्राम सभाओं को सम्मलित किया गया है। नगर पंचायत गनेशपुर द्वारा संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 (क) सूची 01 एच (बी) के अर्न्तगत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत गनेशपुर जनपद बस्ती की वित्तीय स्थिति सुदृढ किये जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत सीमा में पार्किंग शुल्क वसूल करने सम्बन्धी उपविधि का दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराते हुये सर्वसाधारण से 15 दिवस के अन्दर आपत्ति / सुझाव का आमन्त्रण किया जाता है। समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति /सुझाव न प्राप्त होने की दशा में सरकारी गजट प्रकाशित होने के तिथि से स्वतः प्रभावी माना जायेगा ।

उपनियमः–

01– यह उप नियम सरकारी गजट में प्रकाशन उपरान्त प्रभावी माना जायेगा ।
02– ऐक्ट का तात्पर्य यू०पी० म्यूनिसिपैलटीज एक्ट 1916 से है।
03– नगर पंचायत का तार्त्पय नगर पंचायत गनेशपुर जनपद बस्ती से है।
04 सीमा का तात्पर्य नगर पंचायत गनेशपुर की सीमा से है।
05– अधिषासी अधिकारी का तार्त्पय नगर पंचायत गनेशपुर के अधिशासी अधिकारी से है।
06– 'प्रशासक' या अध्यक्ष का तार्त्पय नगर पंचायत गनेशपुर के प्रशासक / अध्यक्ष से है।
07– वाहनों का तात्पर्य नगर पंचायत क्षेत्र में रोड पटरी या पार्किंग स्थल पर सवारियो को लेकर चलने वाले वाहन से है।
08– कर्मचारियो का तात्पर्य नगर पंचायत गनेशपुर के कर्मचारी से है।
09– सड़को / पटरियो का तात्पर्य नगर पंचायत गनेशपुर की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सडक व पटरियो से है।
10– नगर पंचायत गनेशपुर की सीमान्तर्गत या बाजार के अन्दर प्राइवेट लारी बस टैक्सी जीप टैम्पो मिनी बस, मेटाडोर आदि नियत किये स्थान के अतिरिक्त नहीं खड़े किये जायेगे।
11– वाहनो के खड़ा करने का स्थान नगर पंचायत गनेशपुर को परिसम्पत्तियो के हस्तान्तरण होने के उपरान्त स्थाई रूप से स्थान नियत किये जायेगे। वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत पुराने बखिरा तिराहा भानपुर रोड तिराहा पर नियत किया जाता है। जिसे कभी परिवर्तन करने का अधिकार अध्यक्ष / अधिषाषी अधिकारी / बोर्ड में निहित होगा ।
12– प्राइवेट लारी बस टैक्सी जीप टैम्पो मिनी बस मेटाडोर आदि जो यात्री / माल ढोने का काम करेगी, उसे नियत पार्किंग / स्टैण्ड पर नगर पंचायत गनेशपुर द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके रसीद प्राप्त न कर ले, तब तक नियत पार्किंग / स्टैण्ड पर गाडी खडा नहीं करेगा, न ही सवारी / माल को भरेगा और न ही चढायेगा।
13– नगर पंचायत गनेशपुर द्वारा निर्धारित स्टैण्ड / पार्किंग स्थल पर प्राइवेट लारी बस टैक्सी जीप, टैम्पो, मिनी बस मेटाडोर आदि के खडा होने के उपरान्त नगर पंचायत गनेशपुर द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा ।
14– यदि कोई भी माल वाहक गाडी नगर पंचायत गनेशपुर सीमा में माल भरने या उतराने के नियत से नगर पंचायत गनेशपुर द्वारा निर्धारित स्टैण्ड / पार्किंग स्थल पर वाहन खडा करेगा तो उसके वाहन मालिक या चालक को नगर पंचायत गनेशपुर द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा ।
15– नगर पंचायत गनेशपुर द्वारा निर्धारित पार्किंग / स्टैण्ड स्थल पर जनसुविधा सम्बन्धी सभी सुविधा जैसे सफाई, जलापूर्ति, लाइट, बैठने आदि की व्यवस्था उपलब्ध करायेगी।
16– नगर पंचायत गनेशपुर द्वारा पार्किंग / स्टैण्ड स्थल के निर्धारित स्थल या रोड पटरी आदि सवारी भरने या उतारने या उक्त नियमों के अर्न्तगत पार्किंग किये जाने पर निम्नलिखित दरो से वाहनो से शुल्क वसूल करेगीः–
   01– प्राइवेट मोटर लारी / बस 100.00 प्रति दिन
   02– मिनी बस 130.00 प्रति दिन
   03– ट्रक / मिनी ट्रक / मेटाडोर 150.00 प्रति दिन
   04– टैक्सी जीप / कार 50.00 प्रति दिन
   05– टैम्पो 25.00 प्रति दिन
17– कोई भी वाहन किसी स्टैण्ड / पार्किंग स्थल पर यदि शुल्क जमा करके रसीद प्राप्त लिया है तो उसे किसी भी स्टैण्ड / पार्किंग स्थल पर दूबारा शुल्क नहीं देना होगा। इस प्रकार किसी भी वाहन को एक दिन में एक ही बार शुल्क देना होगा।
18– नगर पंचायत गनेशपुर के प्रशासक / अध्यक्ष / अधिशाषी अधिकारी में यह अधिकार सुरक्षित होगा कि स्टैण्ड / पार्किंग स्थल पर वसूली नीलामी / ठेके के माध्यम से करायेगी ।
19– स्टैण्ड / पार्किंग स्थल पर वसूली से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की दशा में प्रशासक / अध्यक्ष / अधिशाषी अधिकारी नगर पंचायत गनेशपुर का निर्णय अन्तिम होगा ।
20– यदि कोई भी वाहन नगर पंचायत गनेशपुर द्वारा निर्धारित स्टैण्ड / पार्किंग स्थल से इतर नगर पंचायत गनेशपुर सीमान्तर्गत ही वाहन खडा करता है और सवारी उतरता है या भरता है तो भी उसे नगर पंचायत गनेशपुर द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
21– निम्न प्रकार के वाहन पार्किंग / स्टैण्ड पुल्क से मुक्त रहेगेः–
   01– उत्तर प्रदेश सरकार / भारत सरकार / निर्वाचन कार्य में लगे ।
   02– शव यात्रा में प्रयुक्त हाने वाले वाहन ।
   03– सरकारी कर्मचारी / अधिकारी के स्थनान्तरण पर उनके सामान ले जाने या ले आने वाले वाहन । परन्तु शर्त यह होगी कि उस वाहन के पास समबन्धित विभाग का प्रमाण पत्र वाहन माह से जाने या में आने वाले वाहन । अन्यथा की दशा में निर्धारित शुल्क जमा करना होगा ।
   04– निजी वाहन जो व्यवसाय के लिये प्रयोग न होते हो ।
   05– कृषि कार्य में प्रयोग आने वाले वाहन ।

लक्ष्यों को पूर्ण करें कृषि विभाग के कर्मचारी

संवाददाता– संतकबीरनगर। संतकबीरनगर जिले में नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी (आत्मा) योजना की गवर्निंग बोर्ड की बैठक कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। आत्मा योजना अंतर्गत जिला एक्शन प्लान और इसके साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना की बैठक हुई। डीएम ने कहा कि कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी प्रचार–प्रसार कर लक्ष्यों को पूर्ण करें। उप निदेशक कृषि ने बीते वर्ष आत्मा के तहत कराए गए कार्यों, बोई गई फसल और उसके परिणाम के बारे में जानकारी दी। साथ ही कितने किसानों को कृषि यंत्र वितरित किए गए इसके बारे में जानकारी दी। जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को योजना का प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिए ताकि किसानों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो। जिलाधिकारी ने इन योजनाओं को कृषि में बदलाव करते हुए किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कार्य करने का निर्देश दिया, ताकि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं उद्यान सभी उन्नत कृषि पद्धति के अंतर्गत कार्य करें और जिले की कृषि माडल कृषि के रूप में स्थापित हो सके। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में हो रहे बदलाव में कृषि वैज्ञानिकों का सहयोग लेने का भी निर्देश दिया।

नायब तहसीलदार पर छेड़खानी का आरोप

संवाददाता–बांसी (सिद्धार्थनगर)। बांसी तहसील क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने नायब तहसीलदार पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। पीड़िता ने ग्रामीणों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत कर व कोतवाली में तहरीर देकर केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। वहीं मामले की जानकारी होने पर डीएम पवन अग्रवाल ने एसडीएम प्रियंका चौधरी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम गठित कर दो दिन में जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।

बांसी क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि नायब तहसीलदार मंगलवार की रात लगभग आठ बजे आए और उसके घर में घुस गए। उन्होंने उसका घर गिराने की धमकी दी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। शोर मचाने पर ग्रामीण इकट्ठा हुए तब नायब तहसीलदार चले गए। पीड़िता ने नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि नायब तहसीलदार रात में महिला के घर गए थे। वह घर के अंदर घुसे तो महिला ने शोर मचाया तो गांव वाले पहुंच गए। ग्रामीणों को देखकर नायब तहसीलदार घर से बाहर निकले और चले गए। महिला के आरोपों को लेकर नायब तहसीलदार ने कहा कि आरोप निराधार है जांच होगी और मैं गलत पाया गया तो जो कार्रवाई होगी वह मुझे स्वीकार होगी।

कार्यालय, नगर पंचायत नगर बाजार, जनपद-बस्ती

पत्रांक 102 / न0पं0न0बा0 / 2024–25 / दिनांक 25–06–2024

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत नगर बाजार सीमान्तर्गत अपने मकानों के निर्माण एवं विध्वंस का मलबा C&DWaste खुले में न फेंककर नगर पंचायत से सम्पर्क कर अपना C&DWaste नगर पंचायत द्वारा चलायी जा रही गाडी में ही डलवायें, जिसका सदुप्रयोग नगर पंचायत स्तर से किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति / सस्था C&DWaste को पंचायत क्षेत्र में फेंकते हुए पाया जाता है तो निकाय द्वारा जुर्माना स्वरूप रु० 1000.00 से 5000.00 तक वसूला जायेगा।

अतः आप लोगो की सुविधा के लिए C&DWaste वेस्ट को उठाने के लिए निकाय के हेल्पलाइन नं0 9918256600 पर सम्पर्क करें।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत नगर बाजार, बस्ती

अध्यक्ष
नगर पंचायत नगर बाजार, बस्ती

पत्रांक– 102 / एस०बी०एम० / न०पं०न0बा० / 2024–25 दिनांकः– 26 / 06 / 2024

कार्यालय, नगर पंचायत नगर बाजार, जनपद-बस्ती

पत्रांक 101 / न0पं0न0बा0 / 2024–25 / दिनांक 25–06–2024

विज्ञप्ति

नगर पंचायत नगर बाजार, बस्ती सीमान्तर्गत थोक कचरा उत्पादक (BWG) से सम्बन्धित सूचना

नगर पंचायत नगर बाजार क्षेत्रांतर्गत सभी नागरिकों / दुकानदारो / व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि 30 किलों प्रतिदिन या इससे अधिक गीला कचरा उत्पादन करने वाले व्यक्ति / संस्था / थोक कचरा उत्पादक की श्रेणी अन्तर्गत आएंगे। सभी थोक कचरा उत्पादक अपने गीला कूडा का निस्तारण अपने स्तर पर करना सुनिश्चित करें अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। यदि कूडे के निस्तारण में कोई समस्या हो या सहायता की आवश्यकता हो तो नगर पंचायत कार्यालय से संपर्क करें।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत नगर बाजार, बस्ती

नीलम सिंह
अध्यक्ष
नगर पंचायत नगर बाजार, बस्ती

पत्रांक– 101 / एस०बी०एम० / न०पं०न0बा० / 2024–25 दिनांकः– 26 / 06 / 2024

दण्ड संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 की धारा (1) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत गनेशपुर यह निर्देश देती है कि इन उपनियमों का उल्लान करने वाला वाहन चालक / स्वामी दण्ड भागी होगा। जिस पर इस उप नियम के अधीन अर्थ दण्ड प्रतिदिन रू0 100–00 के दर से रोपित करने का अधिकार नगर पंचायत गनेशपुर के प्रशासक / अध्यक्ष / अधिशाषी अधिकारी में सुरक्षित होगा। यदि उस वाहन चालक / स्वामी द्वारा निरन्तर उपनियमो का उल्लघ्न किया जाता रहेगा तो उस वाहन चालक / स्वामी पर कम्पाडन्ड अर्थ दण्ड रोपित किया जायेगा। जिसकी अधितम् सीमा रू0 5000–00 होगी।

(शिव प्रताप सिंह)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पंचायत, गनेशपुर जनपद बस्ती

(सोनमती)
अध्यक्ष
नगर पंचायत, गनेशपुर जनपद बस्ती

पत्र संख्याः– 84 / न०पं०ग0 / लेखानुभाग / 2024–25 दिनांक 27.06.24

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0 T 20231714040087
धारा 34 / 2009 (ज0) उ0प्र0रा0सं0 2006
अदालत– श्रीमान तहसीलदार महोदय रूधौली जिला बस्ती
रूद्रमती
बनाम
सभापति आदि
साकिन पिपरपाती कला तप्पा रूधौली तप्पा मगहर पश्चिम तहसील रूधौली जिला–बस्ती
1. विमलावती देवी पत्नी देवी सरन साकिन मेड़रापार जिला–संतकबीरनगर 2. मारकण्डेय 3. शैलेन्द्र कुमार पुत्रगण प्रदीप कुमार साकिन भनवापुर जिला संतकबीरनगर
तारीख पेशी 03–07–2024

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 03 माह 07 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
वाद सं0 T 20231714040086
प्रकीर्णवाद सं0– / 2024
अदालत– श्रीमान तहसीलदार महोदय रूधौली जिला बस्ती
रूद्रमती
बनाम
सभापति आदि
साकिन हनवन्ता तप्पा रूधौली तप्पा मगहर पश्चिम तहसील रूधौली जिला–बस्ती
1. बृजलाल पुत्र शारदा 2. विमलावती पत्नी देवी सरन साकिन मेड़रापार जिला–संतकबीरनगर 3. मारकण्डेय 4. शैलेन्द्र कुमार पुत्रगण प्रदीप कुमार साकिन भनवापुर जिला संतकबीरनगर
तारीख पेशी 03–07–2024

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 03 माह 07 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील
अदालत– श्रीमान अपर उप जिलाधिकारी बस्ती जिला–बस्ती
अपील सं0
धारा 35 (2) 210 रा0सं0
सोहबत अली
बनाम
(फातिमा खातून) सरकार
1. फातिमा खातून पत्नी मो0 अमीन निवासी ग्राम ओड़वारा तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती 2. कमलेशधर दूबे पुत्र श्रीधर दूबे साकिन बनकटा तप्पा कपरी महसो परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला–बस्ती 3. सरकार उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी बस्ती
तारीख पेशी 03–07–2024
अपील बनराजी अदालत मुकाम मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 03 महीना 07 सन 2024 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है।

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी।

आज बतारीख 27 माह 06 सन 2024 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
वाद सं0 13 / 2023
अदालत–श्रीमान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय संतकबीरनगर
श्रीमती आशा देवी
बनाम
इन्द्रजीत उर्फ अमरजीत
1. इन्द्रजीत उर्फ अमरजीत पुत्र घूरे साकिन परसाझकरिया तप्पा उत्तरावल परगना मगहर पूरव तहसील खलीलाबाद जिला–संतकबीरनगर
तारीख पेशी 02–07–2024

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 02 माह 07 सन 2024 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
सम्पादक दिनेश चन्द्र पाण्डेय

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो09450567450 9336715406,
ई.मेल**bhartiyabasti@yahoo.com**
bhartiyabasti@gmail.com